

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं०. 43 /2020- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई, 2020

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता (1)	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक (2)	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम (3)	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (4)
मै, से एल & टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड, एल & टी हाउस, एन एम मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400001	(i) VIII/48-13/ Adj/Commr./ MCH/I8-19 दिनांक 15.03.2019	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, मुद्रा, 5B, पोर्ट यूजर बिल्डिंग, अडानी पोर्ट, मुद्रा, कच, गुजरात - 370421.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, नियर आल इंडिया रेडियो, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009
	(ii) VIII/10- 56/Pr.Commr./O&A/ 2018 दिनांक 28.03.2019	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, नियर आल इंडिया रेडियो, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009	
	(iii) VIII/10- 57/Pr.Commr./O&A/ 2018 दिनांक 28.03.2019		
	(iv) VIII/10- 58/Pr.Commr./O&A/ 2018 दिनांक 28.03.2019		
	(v) VIII/10- 59/Pr.Commr./O&A/ 2018 दिनांक 28.03.2019		
	(vi) S/3-Misc-32/2018-	आयुक्त सीमाशुल्क (आयात),	

19/Gr.V/ACC (Import) दिनांक 18.12.2018	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (ई), मुंबई - 99	
(vii) S/3-MISC-18/2018-19 Gr.IVACC (Import) दिनांक 10.05.2019		
(viii)167/2019- 20/Bond/CAC/JNCH दिनांक 04.07.2019	आयुक्त सीमाशुल्क, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस, बॉन्ड डिपार्टमेंट, उरान, रायगड, नवी मुंबई 400707	

[फा० स० 437/06/2019- सीमाशुल्क IV]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)  
उप सचिव (टीआरयू)